

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 15/2020

दायर दिनांक :- 06.01.2020

अनवान

श्री नारायण पिता मगना गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री भंवर पिता सवाईराम गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
2. श्री ईश्वर पिता कल्याण गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
3. श्री ईश्वर पिता किशोर गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
4. श्री भवाना पिता छोगा गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
5. श्री सुरजमल पिता श्रीराम गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
6. श्री मोहन पिता भैरू बैरवा नि. देवरा तह० जहाजपुर
7. श्री शंकर पिता सुरजमल बैरवा नि. देवरा तह० जहाजपुर
8. श्री ईश्वर पिता किशोर गुर्जर नि. देवरा तह० जहाजपुर
9. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम देवरा प० ह० बागुदार तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 5561/2 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 5601/2 रकबा 0.19 बीघा, आ.न. 5639/2 रकबा 0.12 बीघा कुल कित्ता 3 रकबा 02.06 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें स्थायी सीमा की जानकारी नहीं होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम देवरा प० ह० बागुदार तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 5561/2 रकबा 0.15 बीघा, आ.न. 5601/2 रकबा 0.19 बीघा, आ.न. 5639/2 रकबा 0.12 बीघा कुल कित्ता 3 रकबा 02.06 बीघा भूमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोषा का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)